

फा.सं. 03/01/2024- रा.भा. (सेवा)
राजभाषा विभाग
गृह मंत्रालय

परिपत्र

विषय:- कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त हिंदी अनुवादक परीक्षा वर्ष-2024 में चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन के संबंध में।

उक्त परीक्षा की सूचना के प्रावधानों के अनुसार, इस परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन (डीवी) दिनांक 29.10.2025 तथा 30.10.2025 को (राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एनडीसीसी-॥ भवन, जय सिंह रोड, नई दिल्ली-01) में किया जाना है।

2. आपको राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन.डी.सी.सी.-॥ भवन, जय सिंह रोड, नई दिल्ली -01 में नीचे दी गई तारीख और समय पर दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जा रहा है:-

तारीख	श्रेणी	बैच	उपस्थिति समय	कमरा संख्या
29.10.2025	एसएल / 0003 से एसएल / 0024	बी-1	प्रातः 10.30 बजे	सम्मलेन कक्ष, प्रथम तल, एनडीसीसी - 2 भवन, जय सिंह रोड, नई दिल्ली - 110001
	एसएल / 0025 से एसएल / 0045	बी-2	अपराह्न 02.30 बजे	
30.10.2025	एसएल / 0048 से एसएल / 0180	बी-1	प्रातः 10.30 बजे	
	एसएल / 0195 से एसएल / 0258	बी-2	अपराह्न 02.30 बजे	

3. कृपया ध्यान दें कि दस्तावेज सत्यापन के समय आप यह पत्र अपने साथ लाएं। इस पत्र के साथ आपके पास नवीनतम फोटोयुक्त कम से कम दो पहचान पत्र अर्थात् ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, आयकर पैन कार्ड, और सरकारी विभागों/संगठनों/विश्वविद्यालय/कॉलेज द्वारा जारी कोई भी अन्य पहचान पत्र मूल रूप में होना चाहिए। इसके साथ-साथ उसकी स्व-सत्यापित प्रति भी होनी चाहिए। कॉलेज/विश्वविद्यालय द्वारा जारी पहचान पत्र चालू सत्र का होना चाहिए। दस्तावेज सत्यापन में उपयोग के लिए हाल ही में लिए गए पासपोर्ट आकार के (02) दो रंगीन फोटो भी लाने हैं।

4. दस्तावेज सत्यापन के लिए केवल संबंधित अभ्यर्थी को ही भवन में प्रवेश की अनुमति होगी।
5. अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के दौरान निम्नलिखित क्रम में दर्शाए गए दस्तावेजों की मूल तथा फोटो प्रतियां प्रस्तुत करनी होगी:

- मैट्रिकुलेशन / माध्यमिक प्रमाणपत्र।
- शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्र।
- अनुवाद / अनुभव प्रमाणपत्र, यदि लागू हो।
- जाति / श्रेणी प्रमाण पत्र, यदि आरक्षित श्रेणियों से संबंधित है।
- अपेक्षित प्रारूप में दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूडी) प्रमाण पत्र, यदि लागू हो।
- भूतपूर्व सैनिकों (ईएसएम) के लिए:
(क) अनुबंध -V के अनुसार सेवारत रक्षा कार्मिक प्रमाणपत्र, यदि लागू हो तो।
(ख) अनुबंध - VI के अनुसार वचनबद्धता।
(ग) यदि सशस्त्र बलों से डिस्चार्ज हुए हैं तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट।

- vii. यदि आयु में कोई छूट चाहिए तो संबंधित प्रमाणपत्र।
viii. सरकारी सेवा / सरकारी उपक्रमों में पहले से कार्यरत के मामले में अनापत्ति प्रमाणपत्र।
ix. जो उम्मीदवार विवाह या पुनर्विवाह या तलाक होने पर मैट्रिकुलेशन के बाद नाम में बदलाव का दावा करता है उसे निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:-

- (क) महिलाओं के विवाह के मामले में : पति के पासपोर्ट की फोटो कॉपी जिसमें पति या पत्नी का नाम दिखाया गया हो या विवाह रजिस्टार द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति या शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ ली गई संयुक्त फोटो के साथ पति और पत्नी का एक शपथ पत्र।
(ख) महिलाओं के पुनर्विवाह के मामले में : पहले पति या पत्नी के संबंध में तलाक विलेख/मृत्यु प्रमाण पत्र, जैसा भी मामला हो और वर्तमान पति के पासपोर्ट की फोटो कॉपी जिसमें पति या पत्नी का नाम दिखाया गया हो या विवाह रजिस्टार द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति या शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ ली गई संयुक्त फोटो के साथ पति और पत्नी का एक शपथ पत्र।
(ग) महिलाओं के तलाक के मामले में : शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ ली गई तलाक डिक्री और डीड पोल/शपथ पत्र की प्रमाणित प्रति।
(घ) पुरुष तथा महिलाओं दोनों के नाम परिवर्तन की अन्य परिस्थितियों में: शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत प्रस्तुत शपथ पत्र/डीड पोल और दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों की मूल पेपर कटिंग (एक दैनिक समाचार पत्र आवेदक के स्थायी और वर्तमान पते या नजदीकी क्षेत्र का होना चाहिए) तथा राजपत्र अधिसूचना।

- x. दस्तावेज सत्यापन (डीवी) के लिए प्रवेश प्रमाणपत्र में निर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज।

6. दस्तावेज सत्यापन (डीवी) के लिए उपस्थित होने के दौरान "अभ्यर्थी विवरण फॉर्म" विधिवत भरा और स्याही से हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।
7. ईडब्लूएस प्रमाणपत्र वित्तीय वर्ष 2023-24 की आय के आधार पर जारी किया गया हो और वर्ष 2024-25 के लिए मान्य हो। यह परीक्षा के लिए नोटिस के अनुलग्नक- IX के अनुरूप होना चाहिए।
8. दस्तावेज सत्यापन के दौरान ब्लैक बॉल पॉइंट पेन / जेल पेन का उपयोग नहीं करना है।
9. कृपया ध्यान दें कि जिन अभ्यर्थियों के पास इस पत्र के पैरा 3 में उल्लिखित वैध फोटो आईडी और अन्य साक्ष्य नहीं होंगे, उन्हें दस्तावेज सत्यापन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
10. दस्तावेज सत्यापन के बाद, आपको सत्यापन स्थिति के बारे में आपकी ई-मेल के माध्यम से सूचित किया जायेगा।
11. दस्तावेज सत्यापन के लिए किसी भी यात्रा भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा।
12. संबंधित अतिरिक्त जानकारी के लिए दूरभाष सं. 011- 23438125 पर संपर्क कर सकते हैं।


8/10/2025

(राजेश कुमार)
सहायक निदेशक (सेवा)
दूरभाष सं. 23438078

नोट:- अभ्यर्थियों को भी उनके ईमेल पर दस्तावेज सत्यापन की सूचना दे दी गई है।

F.No.03/01/2024- OL (Service)
Department of Official Language
Ministry of Home Affairs

CIRCULAR

Subject:- Regarding Document Verification of the candidates qualified in Combined Hindi Translators Examination, 2024 conducted by SSC.

As per the provisions of the Notice of the said Examination, Document Verification (DV) of the candidates qualified for the same is to be done in Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, N.D.C.C.II Building, Jai Singh Road, New Delhi-01 on dated 29.10.2025 and 30.10.2025.

2. You are now being called for the Document Verification in Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, **N.D.C.C.II Building, Jai Singh Road, New Delhi-01** on the date and time as per given below.

Date	Rank	Batch	Rep. time	Room No.
29.10.2025	SL /0003 to SL / 0024	B-1	10.30 AM	Conference Room, 1st Floor, NDCC-2 Building, Jai Singh Road, New Delhi-110001
	SL /0025 to SL / 0045	B-2	02.30 PM	
30.10.2025	SL /0048 to SL / 0180	B-1	10.30 AM	
	SL /0195 to SL / 0258	B-2	02.30 PM	

3. Please note that you should bring this letter with you at the time of Document Verification. Along with this letter, you should also possess at least Two latest photo-bearing identification proof such as Driving Licence, Voter card, Aadhar Card, Income Tax Pan Card, and any other Identity Card issued by Government Depts./Organizations/University/College in Original along with its self attested copy. The Identity Card issued by College/University should be current. Two passport-size recent color photographs are to be brought for use at the document verification.

4. Only concerned candidate is allowed to enter into the building for D.V.


5. The candidates are required to appear for DV along with the photocopies and original documents as indicated below on that day in the following order:

- (i) Matriculation/ Secondary Certificate.
- (ii) Educational Qualification Certificate.
- (iii) Translation/Experience Certificate, if applicable
- (iv) Caste/Category Certificate, if belongs to reserved categories.
- (v) Person with Disabilities Certificate in the required format, if applicable.
- (vi) For Ex-Servicemen (ESM):
 - (a) Serving Defence Personnel Certificates as per Annexure-V, if applicable.
 - (b) Undertaking as per annexure-VI.
 - (c) Discharge Certificate, if discharged from the armed Forces
- (vii) Relevant Certificate if seeking any age relaxation.
- (viii) No Objection Certificate, in case already employed in Government/Government undertakings.
- (ix) A candidate who claims change in name after matriculation on marriage or re-marriage or divorce, etc the following documents shall be submitted:

- a. in case of marriage of women: Photocopy of Husband's passport showing name of spouse or an attested copy of marriage certificate issued by the Registrar of Marriage or an Affidavit from husband and wife along with a joint photograph duly sworn before the Oath Commissioner;
- b. In case of re-marriage of women: Divorce Deed/Death Certificate as the case may be in respect of first spouse; and photocopy of present husband's passport showing name of spouse or an attested copy of marriage certificate issued by the Registrar of Marriage or an Affidavit from the husband and wife along with joint photograph duly sworn before the Oath Commissioner.
- c. In case of Divorce of women: Certified copy of Divorce Decree and Deed Poll/Affidavit duly sworn before the Oath Commissioner.
- d. In other circumstances for change of name for both male and female: Deed Poll/Affidavit duly sworn before the Oath Commissioner and paper cuttings of two leading daily newspaper in original (One daily newspaper should be of the area of applicants's permanent and present address or nearby area) and Gazette Notification.

(x) Any other document specified in the Admission Certificate for Document Verification (DV)

6. **"Candidates Details Form" duly filled and inked signed should be brought while appearing for DV.**
7. EWS Certificate should be based on the Income of Financial Year 2023-24 and valid for the financial the year for 2024-25. It should be in conformity with Annexure-IX of the notice for the examination.
8. **The use of black ball point pen/Gel pen is strictly prohibited during Document Verification.**
9. Please note that candidates not possessing valid photo ID and other proof as stated in Para 3 of this letter, will not be admitted to Document Verification.
10. After completion of data verification, you will be intimated about verification status through your e-mail.
11. No TA is allowed on the expenses occurred in travelling for D.V.
12. **For more details, you can call on Telephone No. 011- 23438125**


8/10/2025

(RAJESH KUMAR)
Assistant Director(Service)
Tel.No.23438078

Note:-Candidates have also been intimated about Document Verification through their e-mail.